

**आदर्शन,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
पाल्पा प्रदेश, ललम्पक।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1171

तख्तमा: दिनांक: 15-9-2020

**-सन्देशन आप-**

आदर्शन, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / पारसी प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 ईपू शिक्षण सत्रको सन्देशनी शिक्षण संस्थाको को अनुसूचन प्रदान किए जाने को उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, ललम्पक/सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु विनास 14-9-2020 को मासिक, प्राथमिक शिक्षा परिषद, ललम्पक/सम्बद्धता/परिषद सम्बद्धता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णयित द्वारा सत्र 2020-21 ईपू प्राथमिक नई पाठ्यक्रम को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाको को सम्बद्धता विवरण/प्राथमिक/प्रवेश प्रस्ताव पुरिदा किया जाये ताकि परीक्षा सम्पन्न हुन सके 2020-21 ईपू सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

यस में अनुसूचन से सम्बद्धता निर्णय को वेबसा को सत्र-2 में शिक्षण सत्र शुरू प्रारम्भिक सम्बद्धता सम्पन्न करनी पूर्ण में सम्बद्धता संस्थाको को प्रदान किया गया। सम्बद्धता निर्णय द्वारा प्राथमिक शिक्षा-विषयों का निर्धारण निर्णय किया गया।

शिक्षण सत्रको में स्थापित शिक्षण सत्र शुरू प्रारम्भिक सम्बद्धता करनी ताकि शिक्षण सत्रको राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण परिषद, ललम्पक/सम्बद्धता से पूर्व से सम्बद्धता है, में एडमिटर/सीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 ईपू सम्बद्धता अनुसूचन विवरण प्रदान किया गया है। इन संस्थाको में एडमिटर/सीटीआई द्वारा प्रदान किए जाने अनुसूचन शिक्षण को अनुसार प्रदर्शित प्राप्त को सम्बद्धता निर्णय/प्रवेश प्रस्ताव को प्राप्त सत्र 2020-21 ईपू परिषद से सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने का निर्णय द्वारा शिक्षण-विषयों किया गया एवं एडमिटर/सीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 ईपू प्रदान अनुसूचन विवरण को अनुसूचन में परिषद से सत्र 2020-21 ईपू सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

विनास 14-9-2020 को मासिक सम्बद्धता निर्णय को वेबसा में लिखे गये प्राथमिक निर्णय को अनुसूचन में शिक्षण सत्रको को प्राथमिक शिक्षा परिषद, ललम्पक/सम्बद्धता द्वारा सत्र 2020-21 ईपू निर्णयित करनी को अधीन प्रारम्भिक एवं ललम्पक/सम्बद्धता द्वारा सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	वर्षा सं.	उपनाम का नाम	प्राथमिक का नाम	एडमिटर/सीटीआई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रदान प्रस्ताव	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रदान प्रस्ताव
	2021	बी. शिक्षण सत्रको को प्राथमिक, ललम्पक, बुलगापुर	शिक्षण सत्रको शिक्षण सत्रको शिक्षण सत्रको सम्बद्धता सत्रको एवं सत्रको शिक्षण सत्रको सम्बद्धता सत्रको	80 80 60 60 80	80 80 60 60 80

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एडमिटर/सीटीआई/सीटीआई द्वारा निर्णयित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अपने प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद/एवं ललम्पक द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद निर्णयित/सीटीआई द्वारा निर्णयित/सीटीआई-2020 सत्रको द्वारा निर्णयित/सीटीआई एवं आदेशों को अनुसूचन करनी द्वारा प्रदान किया जाये ताकि परीक्षा सम्पन्न हुन सके 2020-21 ईपू सम्बद्धता निर्णय/प्रवेश प्रस्ताव को प्राप्त सत्र 2020-21 ईपू परिषद से सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने का निर्णय द्वारा शिक्षण-विषयों किया गया एवं एडमिटर/सीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 ईपू प्रदान अनुसूचन विवरण को अनुसूचन में परिषद से सत्र 2020-21 ईपू सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

*(Handwritten signature)*

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रोक्त निर्देशित समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु भीत का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो भीत की नींवगत दरें लागू होंगी।

- ✓ सत्र 20 को (सत्र 20) वार्षिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सत्र 20 के लिए (अनु) विनियामकी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूत करने परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित धाराओं को ही प्रयोग किया जाएगा / परीक्षा में शिक्षा से जाने की शर्तों में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सत्र 20 सत्र 21 निर्दिष्ट आगमनादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को (सत्र 20) एम्प्लॉयमेंट/एम्प्लॉयमेंट के मागनी एवं हेतु अनुसूत प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रारण द्वारा स्नातक स्तर शिक्षा / शिक्षा / प्रविष्टि/सत्री / आगमनादेश / निर्देशों एवं निर्देशक / वार्षिक शिक्षा, सत्र 20, अनुसूत प्रवेश परीक्षा परिषद, संस्था एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार एवं शिक्षा, विनियम, आगमनादेश, निर्देशों का पालन करने का जिम्मेदार होगी।
- ✓ विनियमन एवं शर्तों पर अनुसूत की आधार पर प्रवेश परीक्षा/आई आई सिस्ली से अनुसूत प्राप्त करने में प्रस्ताव स्वीकृत है तो इस संबंध में संस्था (अनुसूत) सत्र 20 का हीरा एवं शिक्षा से से शिक्षा से आगमनादेश के लिए सत्र 20 का आगमनादेश होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसूत एवं परीक्षा समिति, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को अर्द्ध सह समर्थ किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश की संस्था में से आगमनादेश द्वारा शिक्षा प्रसार की प्रविष्टि/सत्री प्रवेश प्रवेश निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रविष्टि/सत्री संस्था को स्वीकृत होगी।
- ✓ निर्देशक एवं कार्यवाही आवश्यक संशोधित करने वाली कार्यवाही को अनुसूत प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव एवं के लिए आगमनादेश प्राप्त प्रवेश एवं आगमनादेश के अनुसूत प्राप्त एवं निर्देश कार्यवाही को आगमनादेश उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रवेश की (अनुसूत) के माध्यम से प्रवेश प्रवेश स्तर पर भी प्रवेश) अनुसूत नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट परीक्षा आगमनादेश निर्देशों का अनुसूत करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सत्र 20 सूचना/वेब साइट की एडिटरियल सुविधाओं, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त दस्तावेज, आगमनादेश सूचना आदि का सिलेबुस उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा निर्देशक हेतु उपलब्ध आगमनादेश प्रस्ताव करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सत्र 20 आगमनादेश सूचना सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित है कि संस्था में प्राथमिक / प्राथमिक आगमनादेश को पालने करने हेतु निर्दिष्ट समिति के संस्था प्रस्ताव करनी एवं निर्देशक, सुनिश्चित करनी एवं आगमनादेश आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य आगमनादेश में संस्था में प्रवेश किया जाता है तो परिषद को इसकी जानकारी होगी कि संस्था प्रस्ताव का प्रवेश शिक्षा एवं कार्य के लिए का स्वीकृत है तो संस्था संस्था की संस्था प्रस्ताव किया जावे की अनुसूत की जाएगी।
- ✓ संस्था स्वीकृत एवं अनुसूत न करने करने प्रस्ताव करने का संस्था निर्देश करने की शर्तों में विनियमन अनुसूत/सत्र 20 कार्यवाही की जाएगी।

(सत्र 20) (सत्र 20) शिक्षा

सूचना- प्राथमिक/परिषद संस्था/2020/ 1973-3141

तारीख 15-09-2020

प्रतिनिधि-आगमनादेश/निर्देशक, श्री विनियमन कोरपोरेशन ऑफ़ प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम।

(सत्र 20) (सत्र 20) शिक्षा

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय स्थाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-फार्मसी जाउन्सिड ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सव्यो पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2741-SHRI VISHWANATH COLL OF POLYTECHNIC

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले

शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशांक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरणों, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रौंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

ए०स०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI VISHWANATH COLL OF POLYTECHNIC



(एफ०आर० खान)

